अटल अर्ने उ.पु. 2

फर्द अहकाम

भंवर सिंह बनाम विक्रम सिंह

न्यायालय TL

संख्या 128/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
16/04/26	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी-1 के अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय ने पत्रावली और प्रार्थना-पत्र 'नाम हजफ' का गहन अवलोकन किया। कानूनन किसी भी व्यक्ति को पक्षकार तभी बनाया जाना चाहिए, जब तक 'आवश्यक पक्षकार' या उचित पक्षकार की श्रेणी में आता हो। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट अनुतोष नहीं मांगा है और न ही उनकी भूमिका का उल्लेख किया है अतः प्रार्थना-पत्र 'नाम हजफ' स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थी 9, 11 एवं 12 के नाम के आगे 'नाम हजफ' अंकित किया जावे। प्रार्थना-पत्र 'नाम हजफ' निर्णित किया जाता है। मूलवाद पत्र संख्या 160/2025 बउनवानी भंवर सिंह बनाम विक्रम सिंह प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा-151 स्वीकार होके के खारिज किया जा चुका है। अतः अब, इस पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा का भी कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। फलस्वरूप पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	